Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

चरणजीत सिह पुत्र जसवन्त सिंह जाति मजबी साकिन 27 एएस तहसील घडसाना आदि

बनाम

तहसीलदार राजस्व घडसाना जिला श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा:–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.– 66/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने पर उभय पक्ष के निवेदन पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 में अपीलांट पक्षकार नही थें लेकिन उक्त प्रकरण में वर्णित विवादित रास्ते जिन्हे खुलवाने हेतु तहसीलदार राजस्व घडसाना द्वारा आदेश पारित किया गया है, उक्त रास्ते अपीलांट्स की भूमि में से खुलवाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांट्स प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार है तथा अपील पेश करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे। रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई आपत्ति पेश की है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2075–78 में जैर अपील रकबा अपीलांट्स के नाम खातेदारी दर्ज हैं जिससे जैर प्रकरण भूमि पर अपीलांट्स के हित निहित है। अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 27 एएस के निवासीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व घडसाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 को पेश कर निवेदन किया कि चक 27 एएस तहसील घड़साना में प.नं. 85/02 मु.नं. 02 का किला नं. 21 ता 25 में, प.नं. 85/10 मु.नं. 10 का किला न. 21 ता 25 में, प.नं. 85/18 मु.नं. 9 के किला नं. 21 ता 25 में, प.नं. 85/26 मु.नं0 8 का किला नं. 21 ता 25 में, प.नं. 85/34 मु.नं. 7 का किला नं. 21 ता 25 में, प.नं. 85/42 मुं.नं. 6 का किला नं. 21 ता 25 में., प.नं. 85/50 मु.नं. 5 का किला नं. 21 ता 25 में, प. न. 85/58 मु.नं. 4 का किला नं. 21 ता 25 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है तथा प.नं. 85/02 मु.नं. 02 के किला नं. 21 ता 25 में, पंन. 85/10 मु.नं. 10 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता चालू है जबकि उक्त वर्णित रकबा के मालिकों के द्वारा उक्त किला नं. में मंजूरशुदा रास्ता को बन्द कर रखा है। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर अपने आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा तहसील घड़साना के चक 27 [illegible] 85/[illegible] 26, 85/34, 85/42, 85/50 एवं चक 24 एएस–सी का प.नं. [illegible]58 प्र[illegible] के किला नं. 21 ता 25 में दो–दो बिस्वा [illegible] किये गये, जिससे व्यथित होकर यह अपील [illegible] की गयी। अपील[illegible] आगे कथन किया कि अपीलांट के नाम से तहसील घड़साना 27 एएस व चक 24 एएस–सी के प.नं.	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50, 85/58 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व उक्त कृषि भूमि के प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 21 ता 25 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसके पश्चात लगभग 35-40 वर्ष पूर्व कूपली रोड के दक्षिण दिशा के 24 एएस-सी के मुरब्बों व अपीलांट के चक 27 एएस के मुरब्बों के किला नं. 1,10,11,20,21 में एक एक मुरब्बा के अन्तराल से प्रत्येक मुरब्बों में नया रास्ता स्वीकृत कर दिया व उक्त रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। नया रास्ता स्वीकृत किये जाने के बाद चक 24 एएस-सी के मुरब्बों के किला नं. 21 ता 25 का रास्ता रिकार्ड में निरस्त कर दिया लेकिन अपीलांट के चक 27 एएस के किला नं. 21 ता 25 का रास्ता सहवन से रिकार्ड में दर्ज रह गया। इस प्रकार अपीलांट के मुरब्बों में दो-दो रास्ते दर्ज हो चुके हैं। चक के किसी भी काश्तकार को किला नं. 21 ता 25 के रास्ता की आवश्यकता नहीं है फिर भी अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये हल्का पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप से तथ्यों को छुपाकर की गई रिपोर्ट के आधार पर रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा पारित आलौच्य आदेश क्रमांक राजस्व/23/1685 दिनांक 12.05.2023 जो अपीलांट को बिना सुने एकपक्षीय पारित किया गया है, को निरस्त फरमायें।

रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि समस्त कार्यवाही विधिवत तरीके से पूर्ण करते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में में यह स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया है कि किला नं. 21 ता 25 में जो पूर्व में रास्ता स्वीकृतशुदा हेतु भूमि थी उस पर रास्ता कब से चालू था तथा कब बंद किया गया एवं किला नं. 1.10.11,20,21 में रास्ता चालू है या नहीं। अपीलांट की कृषि भूमि के किला नं. 21 ता 25 के बदले किला नं. 1,10,11,20,21 में नया रास्ता स्वीकृति के पश्चात पूर्व में स्वीकृत रास्ते को निरस्त नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने केवल हल्का पटवारी की तथ्यों को छुपाते हुए की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना का अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/23/1685 दिनांक 12.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner